

-आदेश:-

निदेशालय के आदेश कमांक एच/पीएफए/अधि./2007/522 दिनाक 23.7.2007 द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक प.7(3)चि./ग्रुप-3/96 पार्ट दिनाक 15.6.2007 एवं दिनाक 19.7.2007 के द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 37 सन 1954) की धारा 9 (1) के द्वारा प्रदत्त शंकितियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के नियम 8 के अन्तर्गत योग्यता एवं प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान जयपुर के अधिन कार्यरत निम्न कर्मचारियों को उनके पातेंय वेतन पर उक्त अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से खाद्य निरीक्षक की शंकितिया प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया जाता हैं, को उनके नाम के समुख अंकित स्थानीय क्षेत्र (सम्भांग) एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से आंवटित किया जाता है :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम व पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	आंवटित स्थानीय क्षेत्र (सम्भांग/जिला)
1.	श्री पवन कुमार वर्मा, क0वि0स0	राज्य केन्द्रीय जन स्वा. प्रयोगशाला, जयपुर	संयुक्त निदेशक, जोन-जयपुर
2.	श्री विष्णु दत्त शर्मा, लै.टे.	राज्य केन्द्रीय जन स्वा. प्रयोगशाला, जयपुर	संयुक्त निदेशक, जोन-जयपुर
3.	श्री रोहित शर्मा, मे.नर्स-2	अधीक्षक, सवाईमान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	संयुक्त निदेशक, जोन-जयपुर
4.	श्रीमती रेखा शर्मा, नर्स-2	अधीक्षक, सवाईमान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	संयुक्त निदेशक, जोन-जयपुर
5.	श्री श्याम सुन्दर, लै.टे.	जनाना अस्पताल, जयपुर	संयुक्त निदेशक, जोन-जयपुर
6.	श्री मदन लाल, नेत्र सहायक	सीएचसी, लक्ष्मणगढ़, सीकर	संयुक्त निदेशक, जोन-जयपुर
7.	श्री हरिराम वर्मा, नेत्र सहायक	सीएचसी, लक्ष्मणगढ़, अलवर	संयुक्त निदेशक, जोन-जयपुर
8.	श्री महेन्द्र सिंह, लै.टे.	राज्य केन्द्रीय जन स्वा. प्रयोगशाला, जयपुर	संयुक्त निदेशक, जोन-जयपुर
9.	श्री बंशीधर यादव, लै.टे.	प्रा.स्वा.के. खेजरोली, जयपुर-प्रथम	संयुक्त निदेशक, जोन-जयपुर

उक्त कर्मचारियों को अपने आंवटित स्थान पर दिनाक 5.8.2011 से पूर्व कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगे, निदेशालय के पूर्व आदेश कमांक 522 दिनाक 23.7.2007 के द्वारा यथावत शर्तें लागू होगी ।

६०
निदेशक (जनस्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वाठा सेवाये
राजस्थान, जयपुर।
दिनांक :- ५१८।।।

कमांक : एच/पीएफए/संस्थापन/(लुज)/11/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा०स्वास्थ्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, मा०स्वास्थ्य राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज०, जयपुर ।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय ।
6. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर ।
7. संबंधित सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन
8. मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज्य केन्द्रीय जन स्वा. प्रयोगशाला, जयपुर ।
9. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
10. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य/राजकीय चिकित्सालय ।
11. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
12. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सा०स्वा०केन्द्र/प्रा०स्वा०केन्द्र
13. संबंधित कर्मचारी को पालनार्थ ।
14. आदेश/गार्ड/निजी पत्रावली ।

कर्मचारी राव०२ क्रम
मुख्यालय

५१८।।।
निदेशक (जनस्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वाठा सेवाये
राजस्थान, जयपुर।